

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन कमांक-3, चौथी मंजिल
मंत्रालय भोपाल


// आदेश //

भोपाल दिनांक 22 जनवरी, 2019

कमांक 248 / 3415 / 2018 / 1 / 59 :: डॉ०रश्मि त्रिपाठी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शासकीय आयुर्वेद औषधालय विधायक विश्राम गृह भोपाल दिनांक 02.06.2017 से 28.11.2017 तक 180 दिवस प्रसूती अवकाश एवं उसकी निरन्तरता में दिनांक 29.11.2017 से 01.06.2018 तक 185 दिवस का संतान पालन अवकाश लिया गया है।

2/- डॉ०रश्मि त्रिपाठी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शासकीय आयुर्वेद औषधालय विधायक विश्राम गृह भोपाल की प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.07.2016 होने पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर है। मध्यप्रदेश सिविल सेवरा (अवकाश) नियम 1977 के नियम 58-ग के अंतर्गत डॉ०रश्मि त्रिपाठी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष (दिनांक 04.07.2019 तक) बढ़ाई जाती है। यदि डॉ०त्रिपाठी उक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो उनकी परिवीक्षा अवधि दिनांक 04.07.2018 को समाप्त होती।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ०एस०एस०कुमरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2019

पृ०कमांक 249 / 3415 / 2018 / 1 / 59

प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 2-- आयुक्त, संचालनालय आयुष मध्यप्रदेश भोपाल।
- 3- निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग भोपाल।
- 4- संभागीय आयुष अधिकारी, भोपाल संभाग भोपाल।
- 5- जिला आयुष अधिकारी, जिला भोपाल। कृपया आदेश की एक प्रति संबंधित को उनके वर्तमान पते पर तामील कराने हेतु प्रेषित।
- 6- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर उक्त आदेश विभागीय बेवसाईट पर प्रदर्शित करने बावत।
- 7- डॉ०रश्मि त्रिपाठी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शासकीय आयुर्वेद औषधालय विधायक विश्राम गृह भोपाल।
- 8- आर्डर फोल्डर/स्थापना लिपिक।


उप-सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग